गैर-निष्पादित संपत्ति

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : आर्थिक मुद्दे	**तृतीय प्रश्न पत्र :** भारतीय अर्थव्यवस्था

प्रसंग

- हाल ही में, प्रकाशित भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) के अनुसार, मार्च 2021 में सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (जीएनपीए) अनुपात 7.4 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2022 में छह वर्ष के निचले स्तर 5.9 प्रतिशत पर थी। साथ ही, रिपोर्ट के अनुसार, बैंकिंग प्रणाली की संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
- प्रतिवेदनानुसार, शुद्ध गैर-निष्पादित संपत्ति (NNPA) अनुपात में 2021-22 के दौरान 70 बीपीएस की गिरावट दर्ज की गई है और यह वर्ष के अंत में 1.7 प्रतिशत पर था।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

भारत में गैर-निष्पादित संपत्ति बनाम विश्व परिदृश्य

- अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत का एनपीए अधिक है।
- प्रतिवेदनानुसार, छह वर्ष के निचले स्तर पर पहुंचने के बावजूद भारत का एनपीए अनुपात तुलनीय देशों में सबसे अधिक है।
- रूस को छोड़कर, जिसका जीएनपीए अनुपात 8.3% है, प्रत्येक बड़े बाजार में भारत की तुलना में खराब ऋणों की हिस्सेदारी कम है।

विश्व संदर्भ में जीएनपीए की स्थिति		
1.	यूएस, यूके	1.2 फीसदी
2.	मलेशिया	1.6 फीसदी
3.	चीन	1.8 फीसदी
4.	इंडोनेशिया	2.6 फीसदी
5.	फ्रांस	2.7 फीसदी

- अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं में एनपीए 3 प्रतिशत से कम है।

बैड लोन में गिरावट

- निरंतर उधार के भुगतान और संस्थागत और सरकारी हस्तक्षेप के कारण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में गैर-निष्पादित ऋण की वसूली आसान हो गई है।
- उच्च ऋण वृद्धि और राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एनएआरसीएल) को विरासत संपत्तियों के हस्तांतरण के कारण चालू वित्त वर्ष के दौरान खराब ऋणों में अधिक कमी देखी जाएगी।

क्षेत्रवार गैर-निष्पादित संपत्ति

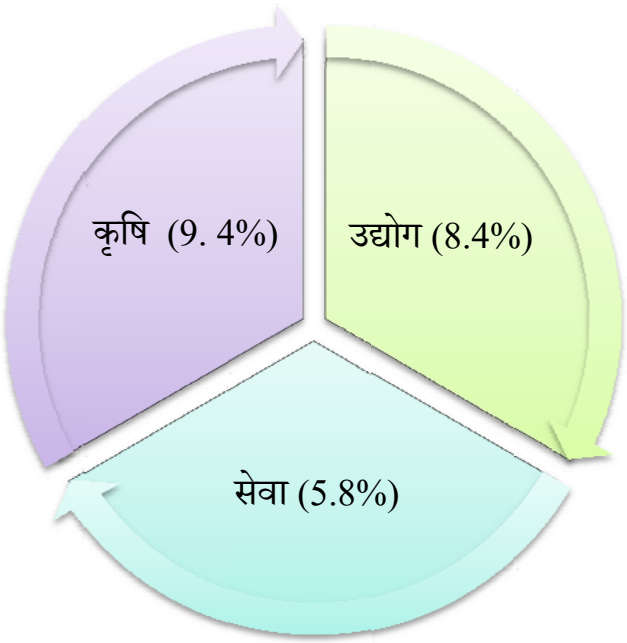

- कृषि क्षेत्र में सकल गैर-निष्पादित संपत्ति 9. 4% के साथ सबसे अधिक है।
- उद्योग में एनपीए 8.4% और सेवाओं क्षेत्र में 5.8% था।
- यह रिटेल क्षेत्र में सबसे कम रहा, जिसमें होम लोन का प्रभुत्व 1.8% था।

2016 में आरबीआई द्वारा एसेट क्वालिटी रिव्यू (एक्यूआर)

- 2016 में आरबीआई द्वारा एसेट क्वालिटी रिव्यू (एक्यूआर) किए जाने के बाद से बैड लोन में वृद्धि हुई है।
- एक्यूआर आरबीआई द्वारा बैंक पुस्तकों की जांच के लिए एक विशेष अभ्यास है।

- विदित है कि ऋणों के एक बड़े नमूने का निरीक्षण यह जांचने के लिए किया जाता है कि क्या परिसंपत्ति वर्गीकरण ऋण चुकाने के अनुरूप था और क्या बैंकों ने इसके लिए पर्याप्त प्रावधान किए हैं।
- एक्यूआर 2016 में किया गया था, क्योंकि आरबीआई को इस बात का संदेह था कि कुछ बैंक अपनी गैर-निष्पादित संपत्तियों का कम आकलन कर रहे हैं।
- आरबीआई ने उन ऋणों की पहचान की जो डिफ़ॉल्ट रूप से थे, लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं थे और उधारकर्ताओं को समय दिया गया था।
- मार्च 2018 में बैड लोन सभी ऋणों के 10% से अधिक के स्तर पर पहुंच गया और तब से बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रावधान के बाद इसमें गिरावट आई है।

गैर-निष्पादित आस्तियां

- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के अनुसार, अगर किसी बैंक लोन (Bank Loan) की किस्त या लोन 90 दिनों तक यानी तीन महीने तक नहीं चुकाया जाता है, तो उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट (NPA) मान लिया जाता है।
- गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ (non-performing assets-NPA) किसी भी अर्थव्यवस्था के लिये नुकसानदेय होती हैं।
- यह देश की बैंकिंग व्यवस्था को रुग्ण बनाती हैं।
- ज्ञातव्य है कि 'गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ', बैड लोन और बैड एसेट से मिलकर बनती हैं।

एनपीए का वर्गीकरण

- बैंकों को एनपीए को घटिया, संदेहास्पद और हानि वाली संपत्तियों में वर्गीकृत करने की आवश्यकता है।
- घटिया संपत्ति को ऐसी संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो 12 महीने से कम या उसके समान अवधि के लिए एनपीए बनी हुई हैं।
- वहीं संदिग्ध परिसंपत्ति को संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, यदि वह 12 महीने की अवधि के लिए घटिया श्रेणी में बनी हुई है।

- आरबीआई के अनुसार, नुकसान की संपत्ति को गैर-संग्रहणीय और इतने कम मूल्य का माना जाता है कि एक बैंक योग्य संपत्ति के रूप में इसकी निरंतरता की गारंटी नहीं है, हालांकि कुछ बचाव या वसूली मूल्य हो सकता है।

भारत में उच्च एनपीए के कारण

- 2004 से 2009 की अवधि में अर्थव्यवस्था में भारी वृद्धि हुई, जिसके कारण फर्मों के बैंक ऋण में अत्यंत वृद्धि देखी गई।
- विदित है कि अधिकांश निवेश सड़क, बिजली, विमानन, इस्पात जैसे बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में किया गया था।
- कंपनियों की वित्तीय स्थिति और उनकी क्रेडिट रेटिंग का विश्लेषण किए बिना बैंकों द्वारा उधार देने की प्रवृत्ति।
- खनन परियोजनाओं पर प्रतिबंध लगाने, पर्यावरण स्वीकृति में देरी के कारण कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हुई और मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर आया, जिससे बिजली, इस्पात और लौह उद्योग प्रभावित हुए। इससे कंपनियों की बैंकों को ऋण चुकाने की क्षमता प्रभावित हुई, जिसके परिणामस्वरूप गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) में वृद्धि हुई।
- कोविड-19 महामारी और लगाए गए लॉकडाउन के कारण भी एनपीए में वृद्धि दृष्टिगोचर हुई।

गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के प्रभाव

- अन्य विकास परियोजनाओं के लिए बैंकों के पास पर्याप्त धन की कमी, जिससे अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा उत्पन्न होगी।
- लाभ अनुपात बनाए रखने के लिए, बैंकों को ब्याज दरों में वृद्धि करने के लिए विवश किए जाने की संभावना बढ़ेगी।
- निवेश प्रभावित होने से बेरोजगारी दर में वृद्धि की संभावना।

गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) को नियंत्रित करने के उपाय

- **ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी)**

- यह मामलों के प्रभावी निपटान के लिए आवश्यक समय को कम करने के लिए गठित किया गया था।
- यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 द्वारा शासित है।

- **क्रेडिट सूचना ब्यूरो (2000)**
  - यह विलफुल डिफॉल्टरों से संबन्धित जानकारी को साझा करके एनपीए को रोकने हेतु की गई एक पहल है।
- **एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी)**
  - केंद्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2021-22 के बजट में भारत के प्रथम 'बैड बैंक' के गठन की घोषणा की थी।
  - यह राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (National Asset Reconstruction Company Limited- NARCL) है। इसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित किया गया है।
  - यह विभिन्न चरणों में अलग-अलग वाणिज्यिक बैंकों से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों (Stressed Assets) का अधिग्रहण करेगा।
- **कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन (2005)**
  - कंपनी को भुगतान के लिए अधिक समय देकर, साथ ही, दरों में कमी करके कंपनी पर कर्ज का बोझ कम करना।
- **5:25 नियम**
  - 5:25 योजना बैंकों को परियोजनाओं के नकदी प्रवाह से मेल खाने के लिए 20-25 साल के दीर्घकालिक ऋण का विस्तार करने की अनुमति देती है।
  - जबकि, उन्हें हर 5 या 7 साल में पुनर्वित्त करती है।
- **संयुक्त ऋणदाता फोरम**
  - यह ऐसी स्थिति से बचने के लिए बनाया गया था, जहां एक बैंक से दूसरे बैंकों में ऋण चुकाने के लिए ऋण लिया जाता है।
- **मिशन इंद्रधनुष**
  - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए मिशन इंद्रधनुष को 2015 में शुरू किया गया था।

- विदित है कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समक्ष आने वाले मुद्दों के प्रभावी समाधान के लिए "मिशन इंद्रधनुष" नामक 7-आयामी योजना की शुरूआत की थी।
- पीएसबी मिशन के लिए इंद्रधनुष का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज में सुधार करना है, ताकि वे निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें।
- यह पीएसबी के कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करके और ऋण में सुधार के माध्यम से आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करने हेतु कदम उठाने पर आधारित है।
- इसमें 7 भागों में नियुक्तियां, बैंक बोर्ड ब्यूरो, पूंजीकरण, डी-स्ट्रेसिंग, सशक्तिकरण, जवाबदेही की रूपरेखा और शासन सुधार (एबीसीडीईएफजी) शामिल हैं।

- दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) 2016
  - दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) 2016 को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था। इसे मई 2016 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी।
  - विदित है कि केंद्र ने दिवालिया कंपनियों से जुड़े दावों को हल करने के लिए 2016 में आईबीसी की शुरुआत की थी।
  - दिवाला संहिता दिवाला समाधान के लिए एक स्थान पर समाधान है, जो पहले एक लंबी प्रक्रिया थी, जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य व्यवस्था प्रस्तुत नहीं करती थी।
  - कोड का उद्देश्य छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करना और व्यवसाय करने की प्रक्रिया को कम बोझिल बनाना है।
  - आईबीसी में 255 खंड और 11 अनुसूचियां हैं।
  - यह बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित करने वाली खराब ऋण समस्याओं के निपटान से सम्बद्ध है।
  - आईबीसी के तहत, देनदार और लेनदार दोनों एक दूसरे के खिलाफ 'वसूली' की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं।
  - कंपनियों को आईबीसी के तहत 180 दिनों के भीतर दिवाला प्रक्रिया पूरी करनी होती है। यदि लेनदारों ने विस्तार पर आपत्ति नहीं जताई, तो समय सीमा बढ़ाई जा सकती है।
  - 1 करोड़ रुपये के वार्षिक कारोबार वाले स्टार्टअप सहित छोटी कंपनियों के लिए, दिवालियेपन की पूरी प्रक्रिया 90 दिनों में पूरी की जानी चाहिए और समय सीमा को 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया